

100



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक:-

12016 निगरानी
R-3867-II-16

धर्मा पुत्र धन्सू गडरिया,
निवासी ग्राम नैना गिरि तेहसील नरबरा,
जिला शिवपुरी-मध्य प्रदेश।

----- प्राधी

बिराध्व

- १- नारायण | पुत्रगण भवानी सिंह
- २- ओमकार | ठाकुर,

निवासीगण ग्राम नैनागिरि, तेहसील नरबरा
जिला शिवपुरी -मध्य प्रदेश।

----- प्रतिप्राधी

निगरानी बिराध्व आदेश एस०डी०ओ० महोदय करीब जिला शिवपुरी
दिनांकी २६-१०-१६, अन्तर्गत धारा १० मध्यप्रदेश मू-राजस्व
संहिता, १९५६। प्र०क्र० ४६/१५-०६ अपील।

दिनांक 15-11-16 को
सो ससं के कार्यालय
कार्य द्वारा प्रस्तुत।
15-11-16
50

ससं
१५/११/१६

5-11-16

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है-

१- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की आज्ञा कानून सही नहीं है।

२- यह कि, एस० डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है।

३- यह कि, इस माननीय न्यायालय के आदेश दिनांकी २३-०९-१६ में दिये गये निर्देशों का समुचित पालन नहीं किया गया है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्र.सं. क्रमांक-निगरानी-3867-दो / 2016

जिला-शिवपुरी

धर्मा विरुद्ध नारायण व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार अभिभाषक हस्ताक्षर
17-06-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी करैरा, जिला-शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 46/2005-06/अपील में पारित आदेश दिनांक 26-10-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर शिवपुरी, जिला-शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 07-08-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर0के0 जैन) सदस्य</p> <p>17/6/19</p>